



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन शाखा, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / योब०-13 / 2021- 359 दिनांक :- 28.06.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी/गुमला वन प्रमंडल, गुमला/लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार/गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर, जमशेदपुर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2027-28 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पथरट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित गमला गैबियन एवं बाँस गैबियन से वृक्षारोपण तथा गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल रु० 237.698 लाख (दो करोड़ सौ तीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/योब०-25/2020-44/स्वी० व०प० दिनांक-30.03.2022 एवं आवंटन आदेश संख्या-4/यो० ब०-25/2020-06/आ० व०प० दिनांक-28.06.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102-समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 237.698 लाख (दो करोड़ सौ तीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110259010103	203.800
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110259010323	33.898
कुल :-		237.698

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क से ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क से ग) एवं ऑन लाईन उप—आवंटन अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S24060110259010103 तथा 19S24060110259010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

6. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्ग दर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, बन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत रक्षापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। रटाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

10. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2021–22 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

11. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल रथल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक रथाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) बैंक रेटेमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(VIII) कंडिका— VII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(IX) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्रावक्लन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

12. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

13. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित बन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मारक का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान DBT/बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

15. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा बन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य बन संरक्षक/मुख्य बन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

17. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का

निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—सह—ज्ञापांक—686, दिनांक—05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

19. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

20. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

21. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

22. (i) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन Gis Photography के साथ कर record में रखें तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(ii) अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(iii) Master Roll में अन्य व्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account Number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(iv) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Documents के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(v) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(vi) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(vii) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(viii) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75 प्रतिशत होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(ix) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(x) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त |

विश्वासभाजन,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—11 / 2020— ३५७ दिनांक— २४.०६.२०२१

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू/हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/पलामू/दुमका/जमशेदपुर/हजारीबाग/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/मेदिनीनगर/गढ़वा/दुमका/देवघर/चाईबासा/जमशेदपुर/चतरा/हजारीबाग/बोकारो/गिरिडीह/एनवीस सेन्टर, राँची/पी०एम०य०० सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त |


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—11 / 2020— ३५७ दिनांक— २४.०६.२०२१

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/खूंटी/गुमला/लोहरदगा/सिमडेगा/लातेहार/गढ़वा/दुमका/गोड्डा/पाकुड़/देवघर/चाईबासा/सरायकेला/जमशेदपुर/चतरा/हजारीबाग/बोकारो/धनबाद/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त |


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठों में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			36169.22	2515.00	38684.22
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा ,	35.60	12.876	0.895	13.771
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	142.00	51.360	3.571	54.931
योग :-		177.60	64.236	4.466	68.702

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।



वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पी0वी0सी0 गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			457.59	96.50	554.09
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	2000	9.152	1.930	11.082
2	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	1000	4.576	0.965	5.541
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	1000	4.576	0.965	5.541
योग :—		4000	18.304	3.860	22.164

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			iv	v	vi
i	ii	iii	457.59	96.50	554.09
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	1700	7.779	1.640	9.419
2	खूँटी वन प्रमण्डल	500	2.288	0.483	2.771
3	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	1000	4.576	0.965	5.541
4	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	1000	4.576	0.965	5.541
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	500	2.288	0.483	2.771
6	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	1300	5.948	1.254	7.202
7	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	500	2.288	0.483	2.771
8	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	500	2.288	0.483	2.771
9	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	500	2.288	0.483	2.771
10	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	1000	4.576	0.965	5.541
11	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	500	2.288	0.483	2.771
12	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	1000	4.576	0.965	5.541
13	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	500	2.288	0.482	2.770
14	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	500	2.288	0.482	2.770
15	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	1000	4.576	0.965	5.541
16	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	2000	9.151	1.930	11.081
17	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	1000	4.576	0.965	5.541
18	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	500	2.288	0.482	2.770
19	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	500	2.288	0.482	2.770
20	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	1000	4.576	0.965	5.541

i	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			457.59	96.50	554.09
ii	iii	iv	v	vi	
21	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर, जमशेदपुर	1000	4.576	0.965	5.541
22	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	2000	9.151	1.930	11.081
23	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	1000	4.576	0.965	5.541
24	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	1000	4.576	0.965	5.541
25	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	1500	6.864	1.447	8.311
26	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	2000	9.151	1.930	11.081
27	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	1000	4.576	0.965	5.541
सकल योग :-		26500	121.260	25.572	146.832

.....
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 शारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0

योजना का नाम— अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 x 2 मी0)

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में समापन कार्य (हितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	7027.28	0.00	7027.28	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	11930.03	0.00	11930.03	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	13564.28	0.00	13564.28	
4	ट्रैच के वर्म पर धेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	653.70	0.00	653.70	
5	पौधों की सुरक्षा	हे0	9.16	2993.95	0.00	2993.95	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (आयोकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			110.66	36169.22	2515.00	38684.22	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— पथतट / संरक्षणान् आदि की भूमि पर पी०वी०री० जाली से निर्मित — गमला गैवियन वृक्षारोपण

गैवियन का आकार — उपर का व्यास रींग 2'.5''
 बीच का व्यास रींग 2'.0'' एवं नीचे का व्यास रींग
 1'.5'', ऊँचाई — जमीन से उपर 5'.3'' तथा एक
 फीट गहरा जमीन में एवं 9'' की पत्ती मुड़ी जो
 आगे से कटी हुई हो।

स्पेसिंग — पंक्ति से पंक्ति की दूरी — 3 मी०

कार्य दर — एक गैवियन

पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी०

मजदूरी प्रति मानव दिवस: 326.85 रुपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैवियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) द्वितीय वर्ष 2022-23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85							
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिरक्षापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ रखल पर ढुलाई सहित	प्रति गैवियन	0.00	0.00	25.00	25.00	
2	गढ़के में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू वर्मा कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैवियन	0.15	49.03	20.00	69.03	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैवियन	0.10	32.69	2.00	34.69	
4	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया० ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया० 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया० 5 ग्राम कीटनाशक), पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैवियन	0.15	49.03	4.50	53.53	
5	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैवियन	0.50	163.43	25.00	188.43	
6	सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	163.43	0.00	163.43	
7	साइन-बोर्ड एवं गैवियन नंबरिंग	प्रति गैवियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	457.59	96.50	554.09	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

**योजना का नाम— पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण
की अनुसूचित कार्य दर**

1. बाँस—गैबियन का आकार: 6'-6" x 2'-6" x 2'-6"

पंक्ति से पंक्ति की दूरी — 3 मी०


3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 326.85 रुपये

2. रेपरिंग —

पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	उभयमुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 326.85						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिरक्षण हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई शहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	25.00	छ: फीट कॅचाई के काट, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति के Evergreen पौधे लगाए जाएंगे
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	49.03	20.00	69.03	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	32.69	2.00	34.69	
4	तीन कोड़ी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	49.03	4.50	53.53	
5	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	163.43	25.00	188.43	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	163.43	0.00	163.43	
7	साइन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	457.59	96.50	554.09	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची





आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चातुर्विंशीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

2022-23

मैं व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-13/2021-1/359

दिनांक -

28-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32389	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	1,693,100.00 रुपये सोलह लाख तिरनावे हजार एक सौ
2	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32392	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	228,800.00 रुपये बी लाख अठाइस हजार आठ सौ
3	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32395	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	457,600.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार छ: सौ

योग्या

ਰੁਪਥੇ ਟੋਡਸ ਲਾਖ ਤਜ਼ਾਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਚ ਸੌ

क्रमिक योगा-

2,379,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL BCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस में	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32400	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	457,600.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार छ: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32404	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	228,800.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32406	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	594,800.00 रुपये पाँच लाख चौरानवे हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

३०८

रुपसे छलीस लाख साहू हजार सात सौ

क्रमिक योगः

~~(NAND KISHORE SINGH)~~

1.281.200.00

3,660,700.00

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32408	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजद्री	रुपये दो लाख अठाइस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32411	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजद्री	रुपये दो लाख अठाइस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32413	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजद्री	रुपये दो लाख अठाइस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगा-

रुपये तीरथालीस लाख सैवालीस हजार पक्की

क्रमिक योगः

686,400.00

4,347,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकारी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32415	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदुरी	457,600.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार छ: सौ
11	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32418	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV. 03 - मजदुरी	228,800.00 रुपये दो लाख अलाइस हजार आठ सौ
12	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32420	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदुरी	457,600.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार छ: सौ
				State Scheme : NA Central Scheme : NA

योगः

रुपये चौपन लाख इनकाशये हजार एक सौ

1,144,000.00

क्रमिक योगः

5,491,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32424	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	686,400.00 रुपये छ: लाख छियासी हजार चार सौ
14	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32427	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O. NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	228,800.00 रुपये दो लाख अलाइस हजार आठ सौ
15	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32430	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	457,600.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार छ: सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः	रुपये अडसठ लाख तीरसठ हजार नौ सौ			1,372,800.00
क्रमिक योगः				6,863,900.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32436	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA रुपये तीन लाख पंद्रह हजार एक सौ I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	915,100.00
			03 - मजदूरी	
17	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32440	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH रुपये चार लाख सत्तावन हजार छः D F.O, BOKARO	457,600.00
			03 - मजदूरी	
18	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32442	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA रुपये दो लाख अठाइस हजार आठ सौ DIVISIONAL FOREST OFFICER	228,800.00
			03 - मजदूरी	

३०८

३४८

रुपये चौरासी लाख पैसद छार चार सौ

1,601,500.00

क्रमिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)

8 465 400 00

क्रमांक	विप्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वैतन एवं भत्ते	32446	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदुरी	228,800.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार आठ सौ
20	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वैतन एवं भत्ते	32452	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदुरी	457,600.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार छ: सौ
21	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वैतन एवं भत्ते	32459	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदुरी	457,600.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार छ: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः


रुपये छयानवे लाख नौ हजार चार सौ

1,144,000.00

क्रमिक योगः


9,609,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32462	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	915,100.00 रुपये नौ लाख पंद्रह हजार एक सौ
23	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32467	SDGAI002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	457,600.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार छः सौ
24	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32473	SGHFOR001 NITISH KUMAR (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA 03 - मजदूरी	1,287,600.00 रुपये बारह लाख सित्यार्सी हजार छः सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योग: क्रमिक योग:				
रुपये एक करोड बाइस लाख उनहत्तार हजार सात सौ				
 (NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND				
2,660,300.00				
12,269,700.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते	32476	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदुरी	5,136,000.00 रुपये इकावन लाख छहतीस हजार
26	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते	32486	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदुरी	457,600.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार छ: सौ
27	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते	32493	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 03 - मजदुरी	686,400.00 रुपये छ: लाख छियासी हजार चार सौ
<hr/>				
योगः	रुपये एक करोड षियासी लाख उनचास हजार सात सौ			6,280,000.00
क्रमिक योगः			(NAND KISHORE SINGH)	18,549,700.00
<hr/>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32499	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 03 - मजदुरी	1,372,700.00 रुपये लेरह लाख बहत्तर हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32506	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदुरी	457,600.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार छ: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32546	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	357,000.00 रुपये तीन लाख सत्तावन हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये दो करोड़ सात लाख सैतीस हजार			2,187,300.00
क्रमिक योग:				20,737,000.00
			 (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32548	RNCFOR01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,300.00 रुपये अडलालीस हजार तीन सौ
32	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32555	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छ्यानये हजार पाँच सौ
33	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32559	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICEF 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छ्यानये हजार पाँच सौ
<p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p> <p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p> <p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p>				
योगः	रुपये दो करोड नौ लाख अठहत्तर हजार तीन सौ			241,300.00
क्रमिक योगः				20,978,300.00
 ADDL PCCE DEV JHARKHAND (NAND KISHORE SINGH)				

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32563	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,300.00 रुपये अडतालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32568	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	125,400.00 रुपये एक लाख पच्चीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32570	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,300.00 रुपये अडतालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगा-

रुपये दो करोड़ बारह लाख तीन सौ

कानूनिक योग्यता

222,000.00

21,200,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
DDI PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32573	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,300.00 रुपये अडतालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
38	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32575	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,300.00 रुपये अडतालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
39	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32579	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानये हजार पौंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

कल्पिक गोपा


रुपये दो करोड तेरह लाख तिरनवे हजार चार सौ

193,100.00

21,393,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32582	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,300.00 रुपये अडतालीस हजार तीन सौ
41	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32585	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छ्यानवे हजार पौँच सौ
42	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32602	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	144,700.00 रुपये एक लाख चबालीस हजार सात सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योग: रुपये दो करोड़ सोलह लाख बयासी हजार नौ सौ				
क्रमिक योग: (NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV.JHARKHAND				
289,500.00				
21,682,900.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
43	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32605	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडलालीस हजार दो सौ
44	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32606	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छ्यानवे हजार पाँच सौ
45	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32623	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	193,000.00 रुपये एक लाख तिरनवे हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः क्रमिक योगः		रुपये दो करोड बीस लाख बीस हजार छ: सौ	 (NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND	337,700.00
				22,020,600.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
46	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32626	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पौंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
47	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32632	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडतालीस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
48	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32637	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडतालीस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये ती करोड बाइस लाख तेरह हजार पौंच सौ

192,900.00

क्रमिक योगः

22,213,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
49	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32642	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छ्यानवे हजार पॉच सौ
50	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32647	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छ्यानवे हजार पॉच सौ
51	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32656	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	193,000.00 रुपये एक लाख तिरनवे हजार
<hr/>				
योगः	रुपये ले करोड पच्चीस लाख निन्नानवे हजार पॉच सौ			386,000.00
क्रमिक योगः	(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND			22,599,500.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
52	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32660	SDGAI002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	रुपये छ्यानवे हजार पैंच सौ
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
53	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32665	SGHFOR001 NITISH KUMAR (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	रुपये नवासी हजार पैंच सौ
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
54	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32672	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	रुपये तीन लाख सत्तावन हजार एक सौ
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योगः	रुपये दो करोड इकतीस लाख बयालीस हजार छ: सौ			543,100.00
क्रमिक योगः				23,142,600.00
		(NAND KISHORE SINGH)		
		ADDL POOF DEV JHARKHAND		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
55	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32677	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV., DGR	रुपये छयानवे हजार पौँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
56	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32681	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF	रुपये एक लाख चावलीस हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
57	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32688	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	रुपये दो लाख नवासी हजार पौँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये दो करोड छत्तीस लाख तीव्रतार हजार तीन सौ			530,700.00
क्रमिक योग:				23,673,300.00
		(NAND KISHORE SINGH)		
		ADDL PCCE DEV JHARKHAND		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
58	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32699	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पौँच सौ

State Scheme : NA
 Central Scheme : NA

योग:

रुपये दो करोड रैतीस लाख उनहतर हजार आठ सौ

96,500.00

क्रमिक योग:

23,769,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCOF DEV JHARKHAND